नसीराबाद
404/2013/225 नाथू V/S सरकार

| तारीख पेशी | बनाम<br>2013/00036<br>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री सुखदेव चौधरी एड.अपी. श्री D.V. चौधरी GA | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.5.19 | **नाथू बनाम राज.सरकार वगैरह**<br>पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। दिनांक 16.05.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि ग्राम रामसर की आराजियात हाल खसरा नम्बर 7942, 7943, 7943/10258 वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 काफी बलशाली एवं प्रभावशाली है तथा उन्होने गैर कानूनी रूप से अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी एवं मदाखलत करते है तथा अपीलांट को कृषि कार्य सम्पन्न नहीं करने देते है एवं अपीलांट की उपरोक्त पुश्तेनी आराजियात में से गैर कूननी रूप से सड़क निकालने पर आमादा हैं इसलिए वाद पत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की अपनी पुश्तैनी भूमि से अप्रार्थीगण बेदखल करने के लिए अग्रसर है तथा यदि प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति निहित होगी। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जावें कि वे प्रार्थीगण भूमि से सड़क इत्यादि का निर्माण नहीं करें तथा भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा ना ही उपरोक्त कृषि भूमि को रहन, बेचान, मुन्तकिल इत्यादि ना करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात आदेश पारित नहीं कर केवल अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये है। इसलिए अपीलांट का यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि विवादित आराजी की ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखंलदाजी व मदाखलत उत्पन्न नहीं करे तथा विवादित आराजी में से रास्ता एवं सड़क इत्यादि नहीं बनायी जाने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जावे।<br>राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 01.10.2013 को प्रार्थीगण/अपीलांट को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया तथा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं आती है इसलिए खारिज की जावे।<br>अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील एवं अधीनस्थ न्यांयालय के आदेश की प्रति का अवलोकन कया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 01.10.2013 को प्रार्थीगण/अपीलांट को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया तथा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश | लगातार |

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नसीराबाद
404/2013/225

नाथू v/s सरकार

| तारीख पेशी | 2013/00036 बनाम<br>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री ..........................श्री .......................... | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| लगातार | दिये है। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष एवं विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट आनी शेष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2013 अन्तरिम आदेश हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।<br>**अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**<br>राजस्व अपील अधिकारी अजमेर | 1546 Dt. 24.5.19 |